Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 7, July - 2025

DOIs:10.2018/SS/202507016 --:-- Research Paper / Article / Review

वित्तीय समावेशन में प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र की भूमिका : मधेपुरा जिला के संदर्भ में

[1]दीपक कुमार राणा, [2]डॉ . मो. शाहिद हुसैन

[1]शोधार्थी – दीपक कुमार राणा, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, बीएनएमयू, मधेपुरा,बिहार, भारत

[2]शोध पर्यवेक्षक – डॉ. मो. शाहिद हुसैन, सह-प्राध्यापक ,एसएनएसआरकेएस महाविद्यालय, सहरसा, बिहार, भारत

Email - [1]deepakkumarrana123@gmail.com

सारांश: समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन एक सशक्त माध्यम है । वित्तीय समावेशन सभी व्यक्तियों तक सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएँ जैसे बैंक खाता , ऋण , बीमा ,पेंशन आदि पहुंचाने की प्रक्रिया है । आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र नीति के माध्यम से बैंकों को समाज के कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करने का एक प्रयास किया है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ता है । इन क्षेत्रों में मुख्यतः कृषि , सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा ,आवास नवीकरण ऊर्जा और कमजोर वर्ग आते हैं । आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार सभी व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित करना है। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों और लघु वित्त बैंकों को अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण तक 75 प्रतिशत तक निर्धारित करना है। इस नीति ने दशकों से वंचित क्षेत्रों को बैंकों से ऋण लेना आसान बनाया है । इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है । इस अध्ययन का उद्देश्य मधेपुरा में वित्तीय समावेशन में प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र की भूमिका का अध्ययन करना है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोत पर आधारित है । तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मधेपुरा में व्यावसायिक बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है ।

शब्द संकेत : वित्तीय समावेशन , प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र, लक्ष्य, उपलब्धि ।

1. परिचय

वित्तीय समावेशन का अर्थ है ऐसे सभी व्यक्तियों तक सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएँ जैसे बैंक खाता , ऋण, बीमा ,पेंशन आदि पहुँचाना जो अभी तक इन सेवाओं से वंचित है । भारत में बैंकिंग कारोबारों के अध्ययन से पता चलता है कि स्वतंत्रता से 1970 तक व्यवसायिक बैंकों की का स्थापना सिर्फ बड़े उद्योगों और व्यावसाय क्षेत्रों को ऋण देने के लिए किया गया है ।भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि एवं इसके सहायक क्षेत्र बैंकिंग सहायता पाने से लगभग वंचित रहा ।तब आरबीआई ने 1972 में प्राथमिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया ।

2. साहित्य समीक्षा

कडीवाला (2017) ने अध्ययन किया कि भारत में सार्वजनिक और निजी बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कैसे उधार देते हैं। यह अध्ययन जांच करता है कि इन बैंकों ने इस क्षेत्र में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें निजी क्षेत्र से एचडीएफसी,

आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र से बीओबी, बीओआई और एसबीआई शामिल थे। मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि इन बैंकों ने इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित 40% उधार लक्ष्य को पूरा नहीं किया। प्रत्येक बैंक द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण की सीमा में महत्वपूर्ण अंतर थे। अध्ययन किए गए बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

3. अध्ययन का उद्देश्य

मधेपुरा में प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में व्यावसायिक बैंकों का प्रदर्शन का विश्लेषण करना है ।

4. शोध विधि - यह अध्ययन द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है । ये आँकड़े बिहार राज्य बैंकर्स समिति, पटना से संकलित किया गया है ।इसमें 2014 से 2024 तक के आँकड़े लिए गए है ।

महत्व – यह अध्ययन बैंकों और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकता है ।

प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र की अवधारणा एवं विकास

प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र आरबीआई द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य शर्त है जिसके तहत बैंकों को अपने ऋण का एक निश्चित हिस्सा उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को आवंटित करना होता है, जो ऋण की कमी का सामना कर रहे है ।

- जुलाई 1968 में राष्ट्रीय क्रेडिट काउंसिल की एक बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्रक-कृषि एवं लघु उद्योगों के वित्तीयन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं ।
- गाडगिल समिति (1969) ने "क्षेत्रीय दृष्टिकोण" का प्रस्ताव रखा , जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ऋण योजना के लिए अग्रणी बैंक योजना को अपनाया गया ।
- नरीमन समिति (1969) ने गाडगिल समिति की सिफारिशों का समर्थन किया और सिफारिश की कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक को अग्रणी बैंक योजना को बढ़ावा देने के लिए कुछ जिलों को अग्रणी बैंक के रूप में अपनाना चाहिए ।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 1971 में प्राथमिकता क्षेत्रक को अग्रिमों से सम्बन्धित सांख्यिकी पर एक अनौपचारिक अध्ययन दल का गठन किया । इस अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर 1972 में प्राथमिकता क्षेत्र का विवरण निर्धारित किया गया।
- मार्च 1974 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया कि वे मार्च 1979 तक अपने कुल ऋण के 33% प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए निर्धारित करे ।
- डॉ. के. एस. कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में प्राथमिकता क्षेत्रक को उधार देने की नीति एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रूप रेखा तैयार करने पर गठित एक कार्यकारी समूह (1980)की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को ये निर्देश दिए गए कि वे अपने कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रक को निर्धारित करें । साथ ही प्राथमिकता क्षेत्रक के भीतर उप क्षेत्रकों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए ।

प्राथमिकता क्षेत्रक को उधार देने के मानकों में संशोधन, 2015

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 2014 मे प्राथमिकता क्षेत्रक को उधार देने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण करने के लिए एक अन्य आन्तरिक कार्यकारी समूह का गठन किया गया। भारत सरकार, बैंकों एवं अन्य पणधारियों से प्राप्त

सुझावों के परिप्रेक्ष्य में आन्तरिक कार्यकारी समूह की सिफारिशों का परीक्षण किया गया तथा 23 अप्रैल, 2015 को प्राथमिकता क्षेत्रक के वर्गीकरण तथा क्षेत्रक एवं उपक्षेत्रकवार लक्ष्यों के निर्धारण सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

संशोधित दिशा-निर्देश निम्नलिखित प्रकार हैं:-

I. प्राथमिकता क्षेत्रक के भीतर मध्यम उद्यम, सामाजिक अधोरचना, अक्षय ऊर्जा के उपक्षेत्रक जोड़े गए हैं।
II. कृषि क्षेत्रक में प्रत्यक्ष ऋणों तथा परोक्ष ऋणों के बीच भेद समाप्त कर दिया गया है ।
III. लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कृषि क्षेत्रक के लिए निर्धारित 18 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर कुल समायोजित निवल बैंक साख या ऑफ बैंलेसशीट प्रकटनों के समकक्ष साख का 8 प्रतिशतांक, जो भी अधिक हों, हिस्सा निधारित किया गया है। मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत, तथा मार्च 2017 तक 08 प्रतिशत के स्तर पर लाना होगा।
IV. सूक्ष्म उद्यमों के लिए समायोजित निवल बैंक साख का 7. 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ,मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत तथा मार्च 2017 तक 7.5 प्रतिशत।
V. समाज के कमजोर वर्गों को समायोजित निवल बैंक साख का 10 प्रतिशत का लक्ष्य पूर्ववत् रहेगा ।
VI. विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक के लक्ष्य -भारत में 20 या इससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर प्राथमिकता क्षेत्रक के लक्ष्य तथा कृषि एवं कमजोर वर्गों के उपलक्ष्य पहले से ही लागू हैं। उन्हें उन्हीं के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी कार्य योजना के तहत् 31 मार्च, 2018 तक पूरा करना है। लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा सूक्ष्म उद्यमों के लक्ष्य 2017 में पुनरीक्षा के बाद 31 मार्च, 2018 के बाद लागू होंगे। 20 शाखाओं से कम नेटवर्क वाले विदेशी बैंकों पर प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत का लक्ष्य, अन्य विदेशी बैंकों की भाँति 2019-20 से लागू होगा तथा उपलक्ष्य, यदि लागू किए जाते है, तो 2020 के बाद लागू होंगे।
VII. खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के इकाइयों को दिए गए बैंक ऋण कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों का ही हिस्सा होंगे ।
VIII. निर्यात साख :- बीस से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा समायोजित निवल बैंक साख के 32 प्रतिशत की सीमा के भीतर निर्यात साख प्राथमिकता क्षेत्रक का हिस्सा होगी ।अन्य बैंकों के लिए विगत वित्तीय वर्ष की सम्बन्धित दिनांक से वृद्धिकारी निर्यात साख (एएनबीसी का 2 प्रतिशत) लागू होगा ।
IX. आवास ऋणों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को वितरित ऋणों, जिन्हें अब तक प्राथमिकता क्षेत्रक का हिस्सा माना जाता है, की ऋण सीमाओं को निम्नवत् संशोधित किया गया है-आवासीय भवन के क्रय/निर्माण हेतु महानगरों में प्रति परिवार 28 लाख रुपए (10 लाख से अधिक जनसख्या वाले शहरों) तथा अन्य शहरों में 20 लाख रुपए की सीमा क्रमशः 35 लाख रुपए तथा 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिय प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के दायरे को विस्तृत किया है ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऋण प्राप्त हो सके । व्यावसायिक बैंकों को कुल समायोजित शुद्ध ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को 75 प्रतिशत तक ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल संवर्ग

1. कृषि -इसके अन्तर्गत किसानों , कृषि सहकारी समितियों ,पशुपालक , मत्सय पालक डेयरी वालों को ऋण मिलता है ।
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - छोटे व्यापारियों और उद्यमों को ऋण दिया जाता है ।
3. निर्यात ऋण - इसमें पूर्व लदान और पश्च निर्यात ऋण शामिल है ।
4. शिक्षा - छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण ।
5. आवास - कमजोर वर्गों के लिए सस्ते घर के लिए ऋण ।
6. सामाजिक अधोरचना - अस्पताल , स्कूल आदि के लिए ऋण ।
7. अक्षय ऊर्जा - सौर ऊर्जा , बायोगैस , पवन ऊर्जा सयंत्र के लिए ऋण ।
8. अन्य - कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति , जनजाति और महिला ,गरीब आदि को ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा न कर पाना

जो वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए लक्ष्य की सीमा तक साख वितरित नहीं कर पाते हैं । उन्हें निर्धारित लक्ष्य तथा वितरित साख के अन्तर की धनराशि नावार्ड द्वारा संचालित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) तथा नाबार्ड / राष्ट्रीय आवास बैंक/सिडबी द्वारा संचालित अन्य निधियों में बकाया अन्तर की धनराशि जमा करनी होती है ।ऐसी जमाओं पर ब्याज दर वह होती है। जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है । ऐसे निक्षेपों पर लागू बैंक दर से 2% से 5% तक कम ब्याज दर ही प्राप्त होती है, जो बैंकों पर एक दण्ड की भाँति है या उन्हे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र खरीदना होगा ।

मधेपुरा में प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र का विवरण

कृषि क्षेत्र

तालिका-1 कृषि क्षेत्र (वर्ष 31-12-2014 से 31-12-2024 तक)

वर्ष	कृषि (लाख रुपए में)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
2014	61079	45053	73.76
2015	74058	49928	67.42
2016	88861	38476	43.3
2017	91957	46746	50.83
2018	114418	47233	41.28
2019	107574	45817	42.59
2020	99961	63801	63.83
2021	110859	60767	54.81
2022	124050	82854	66.79
2023	125430	107147	85.42
2024	183671	64393	35.06

स्रोत :-आँकड़े राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार से संकलित

तालिका- 1 से स्पष्ट है की में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014 से 2024 तक के लक्ष्य एवं उपलब्धि में हर वर्ष अंतर रहा है । वर्ष 2019 एवं 2020 को छोड़कर हरेक वर्ष लक्ष्य की राशि बढ़ायी गई है ।2014 में कृषि क्षेत्र में ऋण देने का लक्ष्य 61079 लाख रुपया रखा गया और 2024 में यह राशि बढ़कर 183671 लाख रुपया कर दी गई ।2014 में लक्ष्य के मुकाबले 45053 लाख रुपये ही ऋण के रूप में प्रदान की जा सकी । लक्ष्य का 73.76 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल किया जा सका ।

तालिका -2 सांख्यिकीय विश्लेषण

विश्लेषण	विवरण (लाख रुपए में)	
माध्य	लक्ष्य -107447.09	उपलब्धि - 59292.27
मानक विचलन	लक्ष्य -32211.23	उपलब्धि - 20253.23
सहसंबंध (r)	0.4721	

तालिका-2 में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच सांख्यिकीय संबंध का विश्लेषण किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 2014 -24 तक का औसत लक्ष्य 107447.09 लाख रुपए है जबकि उपलब्धि का औसत 59292.27 लाख रुपए है जो बहुत कम है । सहसंबंध (r)का मूल्य 0.4721 है जो की लक्ष्य और उपलब्धि के बीच निम्न सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है ।

लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र

तालिका- 3 लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र (वर्ष 31-12-2014 से 31-12-2024 तक)

वर्ष	लघु एवं मध्यम उद्यम (लाख रुपए में)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
2014	4080	3212	78.73
2015	5465	5122	93.72
2016	6836	5583	81.67
2017	7791	6802	87.31
2018	27321	18319	67.05
2019	39331	21756	55.32
2020	45208	21068	46.60
2021	55114	21973	39.87
2022	111856	49934	44.64
2023	128571	53041	41.25
2024	147600	48243	32.68

स्रोत :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार से संकलित

तालिका- 3 से स्पष्ट है की लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2024 तक के लक्ष्य एवं उपलब्धि में हर वर्ष अंतर रहा है । प्रत्येक वर्ष लक्ष्य की राशि बढ़ायी गई है । 2014 में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र ऋण देने का लक्ष्य 4080 लाख रुपया रखा गया और 2024 में यह राशि बढ़कर 147600 लाख रुपया कर दी गई । 2014 में लक्ष्य के मुकाबले 3212 लाख रुपये ही ऋण के रूप में प्रदान की जा सकी । लक्ष्य का 78.73 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल किया जा सका । उपलब्धि का प्रतिशत में विचलन ज्यादा है ।हाल के वर्ष 2023 एवं 2024 में उपलब्धि का प्रतिशत क्रमश: 41.25 और 32.68 है जो अब तक का सबसे कम है।

तालिका -4 सांख्यिकीय विश्लेषण

विश्लेषण	विवरण (लाख रुपए में)
माध्य	लक्ष्य-₹52652.09 उपलब्धि-₹23186.63
मानक विचलन	लक्ष्य-₹52784.44 उपलब्धि-₹18894.15
सहसंबंध (r)	0.9774

तालिका 4 से स्पष्ट है की मधेपुरा में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा ऋण आवंटन का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रवृत्ति को बतलाता है। 2014 से 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, ऋण लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच एक बहुत मजबूत सकारात्मक सहसंबंध (0.9774) है। 2014 -24 तक का औसत लक्ष्य 52652.09 लाख रुपया है जबकि उबलब्धि का औसत 23186.63 लाख रुपया है। साथ ही लक्ष्य का मानक विचलन 52784.44 लाख रुपया है तथा उपलब्धि 18894.15 लाख रुपया है । लक्ष्य तथा उपलब्धि के बीच अंतर कम है ।

प्राथमिकता प्राप्त ऋण वाले अन्य क्षेत्र

तालिका -5 प्राथमिकता प्राप्त ऋण वाले अन्य क्षेत्र (वर्ष 31-12-2014 से 31-12-2024 तक)

प्राथमिकता प्राप्त ऋण वाले अन्य क्षेत्र (लाख रुपए में)			
वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
2014	30646	18855	61.53
2015	30646	24785	80.88
2016	37836	15674	41.43
2017	47157	21381	45.24
2018	56282	30322	53.88
2019	73125	18625	25.47
2020	75153	24158	32.15
2021	71297	30995	43.47
2022	76633	49025	63.97
2023	90253	41209	45.66
2024	121609	52693	43.33

स्रोत :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार से संकलित

तालिका-5 से स्पष्ट है की वर्ष 2014 से 2024 तक प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र में आवंटित ऋण का लक्ष्य और उपलब्धि में वृद्धि पाई गई है । जहां वर्ष 2014 में लक्ष्य 30646 लाख रुपया था वहीं 2024 में यह बढ़कर 121609 लाख रुपया हो गया । समान लक्षण उपलब्धि में भी देखि गई जो वर्ष 2014 में मात्र 18855 लाख रुपया था वो 2024 में 52693 लाख रुपया हो गया । परंतु उपलब्धि प्रतिशत में आशातीत वृद्धि नहीं देखि गई । इन 11 वर्षों में सबसे ज्यादा वर्ष 2015 में लक्ष्य का 80.88 प्रतिशत उपलब्धि हुई । वर्ष 2019 में सबसे कम प्रतिशत उपलब्धि पाई गई ।

तालिका -6 सांख्यिकीय विश्लेषण

विश्लेषण	विवरण (लाख रुपए में)	
माध्य	लक्ष्य- 4603.36	उपलब्धि- 29792.90
मानक विचलन	लक्ष्य- 27707.93	उपलब्धि- 12639.75
सहसंबंध (r)	0.783	

तालिका -6 से स्पष्ट है की 2014 से 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, ऋण लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच एक बहुत उच्च सकारात्मक सहसंबंध (0.783) है। लक्ष्य का औसत लक्ष्य 4603.36 लाख रुपया है तथा उपलब्धि 29792.90 लाख रुपया है । साथ ही 2014 -24 तक लक्ष्य का मानक विचलन ₹27707.93 लाख है जबकि उबलब्धि का ₹12639.75लाख है। सहसंबंध (r) 0.783 है, जो कि एक उच्च सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे लक्ष्य बढ़ता गया , वैसे-वैसे उपलब्धि भी गई । लेकिन लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त नहीं किया जा सका ।

प्राथमिकता प्राप्त ऋण की क्षेत्र की चुनौतियाँ

1. क्षेत्रक असंतुलन- कृषि जैसे क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त वाले ऋण क्षेत्र का मुख्य घटक होने के बावजूद, अपर्याप्त वित्त- पोषित क्षेत्र हैं। बैंक सामान्यतः प्राथमिकता प्राप्त ऋण वाले क्षेत्र के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्यम या आवास क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे व्यावसायिक रूप से अधिक लाभदायक होते हैं।
2. उच्च गैर निष्पादित संपत्तियाँ - बैंकों को विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में ऋणों की वसूली में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कृषि एक जोखिम भरा क्षेत्र है ।
3. बैंकों के लिये अल्प लाभप्रदता - प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्रों में ऋणों पर प्रायः ब्याज दरें कम होती हैं जिससे बैंकों के लिये यह अल्प लाभदायक होते हैं।

5. सुझाव

- लक्ष्य आधारित ऋण प्रदान किए जाने के स्थान पर निष्पादन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- जोखिम कम करने के लिए ऋण गारंटी फंड का निर्माण करना चाहिए ।
- अधिक से अधिक डिजिटल तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाए ।

6. निष्कर्ष : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है, जिसके माध्यम से समाज के कमजोर क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर आर्थिक समानता और विकास को प्रोत्साहन मिलता है । मधेपुरा में प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रदान करने में वित्तीय संस्थान सफल नहीं रहे हैं । निष्पादन आधारित दृष्टिकोण , ऋण गारंटी फंड और डिजिटल तकनीक का उपयोग कर इस नीति को बेहतर बनाया जा सकता है।

संदर्भ :

1. कड़ीवाला के : A study on priority sector lending by public sector bank in India, Int J.Res All Subject Multilanguage 2017, 5(2): 67-71.
2. https://www.rbi.org.in
3. www.dristiias.com
4. www.bis.com
5. बैंकिंग चिंतन
6. प्रतियोगिता दर्पण ,जून 2015, 64-66
7. www. Slbcbihar. Com